प्रारूप–1

Mr. . **Shivkumar(assistant engg)** ..son of **....Dilaram**.......is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding **..Reroting work of tower no. 266**.......of the......**UPPTCL**.......(agency name) on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the **...state govt of uttarapradesh.**

(head of the Instituion name /designation).
Signature
Name and seal of the competent
Authority

Signature
Name and seal of the competent
Authority

Sachendra
J. E
400 KV D/c UMTL

Executive Engineer
Elecy 400 K V S/S Division
U P P C L Jolly Road
Muzaffarnagar

Scanned by CamScanner

प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग–मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त – विवरण। – 400 के0 वी0 विष्णुप्रयाग – मुजफ्फरनगर द्विपथ पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टॉवर संख्या 266 के स्थान पर 2 नए टॉवरों का निर्माण कार्य।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। – संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत। –

घ) वन क्षेत्र मे परियोजना स्थापित करने का औचित्य। – वन क्षेत्र से गुजरने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नही है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) – लागू नही है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। – औद्योगिक एंव कृषि क्षेत्र में वृहत रोजगार के अवसर होगें।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: – सिविल सोयम वन भूमि= 3•893 हे0
नाप भूमि = 0•168 हे0
कुल भूमि = 4.061 हे0

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है – लागू नही।

क) परिवारों की सख्या – लागू नही।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या – लागू नही।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) – लागू नही।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) –

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि मे पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाय) – प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार सलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। – संलग्न है।

Sachelna
A.E
400 KV D/C
VMTL

Executive Engineer
Electy 400 K.V. S/S Division
U.P.P.C.L. Jolly Road
Muzaffarnagar

दिनांक........ स्थान........ प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नाम मोहर

Scanned by CamScanner

प्रारुप–3

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग–मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति –
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र –
(ii) जिला –
(iii) जिला वन प्रभाग –
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र –
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः –
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः
(i) वन का प्रकार
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विशेषताएं
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और अतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

Scanned by CamScanner

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियां कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हां / नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थानः
तारीखः

Sachendra
J.E.
400 KV D/C
VMTL

SDO
AE ...
O/C VMTL.

Executive Engineer
Electy. 400 K.V. S/S Division
U.P.P.C.L. Jolly Road
Muzaffarnagar
शासकीय मुद्रा

Scanned by CamScanner

प्रारुप–4

परियोजना का नामः – जनपद पौड़ी के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग–मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन के क्षतिग्रस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण।

भाग–3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। – संलग्न है।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

Scanned by CamScanner